सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/17 निर्णय दिनांकः—09.07.2018

1. कमला पत्नी हरिचन्द जाति बावरी निवासी चक 573 आरडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सन्जू पत्नी जलेसिंह जाति जाट निवासी बटोड़ हाल चक 3 एसडीडब्ल्यू एम(यू) तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04—03—2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 04—03—2016 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 3 एसडीडब्ल्यूएम (यू) के मुरब्बा नम्बर 9/38 के किला नम्बर 1, 2, 13, 17 से 23 कुल 10 बीघा भूमि स्थित है जो वादगत् भूमि के मुरब्बे में ही निहित है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि उक्त मुरब्बे के चिपते मुरब्बे अर्थात मुरब्बा नम्बर 9/30 के किला नम्बर 11 ता 25 में स्थित है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है।

उन्होंने आगे बताया कि जब वादगत् भूमि चक 3 एसडीडब्ल्यूएम (यू) के मुरब्बा नम्बर 9/38 में अपीलांट की खातेदरी भूमि स्थित है ऐसी स्थिति में इसी मुरब्बें के किला नम्बर 3 ता 12, 14 ता 16, 24, 25 की 15 बीघा भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि मिडियम पेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे व पड़ौस में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें में मुरब्बा नम्बर 9/38 में अपीलांट के धारण की भूमि को दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जो नोटिस जारी किया जाना बताया गया है उक्त नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवाई गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 3 एसडीडब्ल्यूएम (यू) के मुरब्बा नम्बर 9/39 के किला नम्बर 3 ता 12, 14 ता 16, 24, 25 में 15 बीघा भूमि के मिडियम पेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी काश्तकार के उपस्थित नहीं आने पर व कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर मिडियम पेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत्

भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाइ जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—03—2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30—03—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 3 एसडीडब्ल्यूएम (यू) के मुरब्बा नम्बर 9/38 के किला नम्बर 3 ता 12, 14 ता 16, 24, 25 कुल तादादी 15 बीघा भूमि का मिडियम पेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जॉच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बें में ही शेष भूमि अर्थात 10 बीघा भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट या अन्य काश्तकारों को कोई नोटिस प्रदान किया गया है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित काश्तकार व अपीलांट जिसके धारण में इसी मुरब्बे में भूमि निहित होने पर भी अपीलांट को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन प्रथम वरियता के आधार पर अनुशंसा की गई है। जबकि अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 के नियम 14(1) के तहत मिडियम पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बें में निहित अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रूटि है कारित करते हुए आराजी जैर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

(6) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—03—2016 उपखण्ड अधिकारी, पूगल निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य काश्तकारों को विधिवत नोटिस व सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर